बिहार सरकार
शिक्षा विभाग,
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–8 / आ०5–01 / 2026..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 430 दिनांक 31.12.2025 द्वारा श्री मधुसुदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल–सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी। श्री मधुसुदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, निर्मली के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में दिनांक 31.12.2025 को आहूत बैठक में उपस्थित नहीं होने, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

तदालोक में निदेशालय के पत्रांक 102 दिनांक 15.01.2026 के द्वारा श्री सिंह से बचाव अभिकथन की मांग की गयी, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा पत्रांक 55 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा बचाव अभिकथन में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में अंकित किया गया कि दिनांक 31.12.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक आहूत की गयी, जिसकी सूचना पूर्वाह्न 09:23 बजे WhatsApp पर प्राप्त हुआ। साथ ही अंकित है कि प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय की दूरी अत्यधिक रहने तथा उक्त तिथि को दो उच्चाधिकारी के स्तर से बैठक की सूचना रहने के कारण ससमय बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, जिसके लिए वे क्षमाप्रार्थी हैं। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। प्राप्त बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 522 दिनांक 20.04.2026 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 386 दिनांक 10.09.2026 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, बचाव अभिकथन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि संबंधित 11:00 बजे निर्धारित बैठक की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 09:23 बजे WhatsApp पर दी गयी थी, जबकि आरोपी पदाधिकारी का पदस्थापन जिला मुख्यालय से लगभग 55 कि०मी00 दूर था। आरोपी पदाधिकारी दिनांक 31.03.2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

अतः श्री मधुसुदन प्रसाद सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को उनके बचाव अभिकथन पर विचार करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है एवं मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह0 / –
(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा

ज्ञापांक 8/आ०5–01/2026.....1178..... पटना, दिनांक 10/11/2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), सुपौल/श्री मधुसुदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, निर्मली, सुपौल–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता– C/o–बच्चू सिंह, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, वार्ड नं०–09, डाकघर+थाना–जमुई, जिला–जमुई–811307, मो०नं०–9771702515 एवं आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा